रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)---128/89

REGISTERED No. D--(DN)--128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 13, 1989 (वैशाख 23, 1911)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 13, 1989 (VAISAKHA 23, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय--सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	389
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	453
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	671
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाए	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	409
भाग III--खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	453
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	521
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी, निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	57
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*यह संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	380
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	453
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	671
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) —Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authoritity (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	409
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	453
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	521
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	57
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1989

संकल्प

सं० एम-13043/12(4)/87-कृषि—डा० कीर्ती सिंह द्वारा नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति का कार्यभार छोड़ने के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पशू चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, पटना (बिहार) के कुलपति, डा० जी० त्रिवेदी भारत सरकार, योजना आयोग के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या एम-13043/12/87-कृषि के तहत गठित क्षेत्र संख्या 4, मध्य गंगा, का दानी क्षेत्र संबंधी योजना दल के प्रभावी रूप से अध्यक्ष, होंगे ।

2. पूर्वोक्त आदेश के पृष्ठ-2 क्रम संख्या-2 की मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए :—

कुलपति,

नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
कुमार गंज, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति योजना दल के अध्यक्ष तथा सदस्यों, सभी सम्बद्ध मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

संकल्प

सं० एम-13043/12(10)/87-कृषि—डा० के० कृष्णामूर्ति द्वारा डा० रामाकृष्णन, कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर के स्थान पर कार्यभार संभालने के परिणामस्वरूप, डा० के० कृष्णामूर्ति भारत सरकार, योजना के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या एम-13043/12/87-कृषि के तहत गठित क्षेत्र संख्या-10 दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र संबंधी योजना दल के प्रभावी रूप से अध्यक्ष होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति योजना दल के अध्यक्ष तथा सदस्यों, सभी संबंद्ध मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

संकल्प

सं० एम-13043/12(13)/87-कृषि—डा० वी० एम० झाला द्वारा श्री आर० पार्थसारथी, कुलपति, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरकार कृषि नगर, दांतीवाड़ा, जिला बनासकंठा गुजरात, कैम्पस अहमदाबाद के स्थान पर कार्यभार संभालने के परिणामस्वरूप डा० वी० एम० झाला, भारत सरकार, योजना आयोग के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या 13043/12/87-कृषि के तहत गठित क्षेत्र संख्या-13, गुजरात के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र संबंधी योजना दल के प्रभावी रूप से अध्यक्ष होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति योजना दल के अध्यक्ष तथा सदस्यों, सभी संबंद्ध मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जगदीश चन्द्र डंगवाल,
निदेशक (प्रशासन)

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 1989

आदेश

विषय :—ओ०एन०जी०सी० को बंबई अपतट एक्सटेंशन संरचना—एस०टी० क्षेत्र में 800 वर्ग किलो- मीटर क्षेत्र के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृती।

सं० ओ 12012/13/88 ओ०एन०जी०डी० 4—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसमें इसके पश्चात आयोग कहा गया है) बंबई अपतट एक्सटेंशन संरचना एस० टी० क्षेत्र के लिए 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 2-6-88 से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पैट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेंसेट पर 192 रुपये प्रति मिट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में यह दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैसिंग हैड कंडेंसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6400—रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4/— रुपये
(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20/— रुपये
(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100/— रुपये
(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200/— रुपये
(5) लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300/—रुपये

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उप-नियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर 6 महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्ययन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसा दस्तावेज भरकर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये बाथी-मीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय/नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ण) यदि विदेशी जल पोत सर्वेक्षण पर लगाये जाते हैं तो भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा उनका नौ सेना सुरक्षा निरीक्षण, उनको सर्वेक्षण पर लगाये जाने से पूर्ण किया जाना है। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई दो संपूर्ण प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं।

अनुसूची क

बंबई अपतट एक्सटेंशन की संरचना-एस टी क्षेत्र के 800 वर्ग कि० मी० के लिए भौगोलिक निर्देशांक

पाइंट	रेखांश	अक्षांश
बी1	20° 00′	72° 20′
बी2	20° 00′	72 40′
बी3	19° 35′	72° 40′
बी4	19° 35′	72° 30′

अनुसूची–ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल :

माह तथा वर्ष :

क : अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटा कर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख. केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटा कर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग. प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन संख्या मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर कर प्राप्त घन मीटरों की	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री.....सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर.....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

आदेश

सं० ओ-12012/1/87-ओएनजी डी-IV—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 उप-नियम (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसे इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को बम्बई के अपतटीय क्षेत्रों के डी-18 संरचना क्षेत्र में 194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम खनन के लिए नवम्बर, 1988 के 14वें दिन (14-11-88) से 20 वर्षों के लिए खनन पट्टे की स्वीकृति देती है। जिसके विवरण विशेष रूप से इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची (क) में दिये गये हैं।

2. खनन पट्टे की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(1) खनन पट्टा केवल पैट्रोलियम के संबंध में होगा।

(2) यदि अन्वेषण के दौरान पैट्रोलियम के अतिरिक्त कोई अन्य खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग संपूर्ण ब्यौरों सहित उसे केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लायेगा।

(3) (i) आयोग समस्त अशोधित तेल तथा कंडेंसिंग हैड कंडेंसेट पर 192/- रुपए प्रति टन या ऐसी दर से जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, रायल्टी का भुगतान करेगा।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में रायल्टी की दरें वे ही होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी।

(iii) रायल्टी की अदायगी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(4) आयोग पट्टे के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 7 दिनों के अंदर पिछले माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा कंडेंसिंग हैड कंडेंसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण और उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची (ख) में दिये गये प्रपत्र में देना होगा।

(5) आयोग पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 13 की अपेक्षाओं के अनुसार 20,000/-रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(6) आयोग केन्द्रीय सरकार के पास (I) 2000/- रुपये तक की राशि प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने और (II) 5000/- रुपये तक की राशि पट्टे की स्वीकृति देने से पूर्व खनन पट्टों की फीस के रूप में जमा करेगा।

(7) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर निर्धारित वार्षिक डीड किराया अदा करेगा :—

इससे संबंधित एक भाग के लिए पहले 100 वर्ग किलोमीटर के लिए प्रति हैक्टर अथवा इसके किसी अंश के लिए 12.50 रुपये और प्रथम 100 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र से अधिक के लिए प्रति हैक्टर अथवा उसके किसी अंश के लिए 25/- रुपये बशर्ते कि पट्टेधारी केवल डीड किराया अथवा रायल्टी दोनों में जो राशि में अधिक हो, परन्तु दोनों नहीं, अदा करे।

(8) आयोग केन्द्रीय सरकार को इस पट्टे के अधीन आयोजित परिचालनों के प्रयोजन के लिए वास्तविक रूप से भूमि के सतही क्षेत्र का उपयोग करने के लिए, ऐसी दरों पर सतही किराया अदा करेगा जो भूमि राजस्व और भूमि पर मूल्यांकन योग्य और मूल्यांकित उपकरों से अधिक नहीं हो, जैसा कि समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(9) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई और 1 जनवरी को अर्ध-वार्षिक आधार पर रायल्टी की अदायगी करेगा।

(10) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर तत्काल तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के दौरान पाये गये सभी खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में केन्द्रीय सरकार को सभी परिचालनों, वेधन और उत्पादन के संबंध में निश्चित रूप से सूचना देगा।

(11) आयोग समुद्र की तलहटी और / अथवा उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने के लिए हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/अथवा सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा।

(12) इस खनन पट्टे पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1958 9 के उपबन्ध लागू होंगे।

(13) आयोग पैट्रोलियम खनन पट्टे की डीड को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत फार्म के रूप में कार्यान्वित करेगा।

(14) इस पट्टे के अधीन सरकार को देय किराया रायल्टी कर, फीस और अन्य धनराशि बकाया भूमि राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी।

अनुसूची-क

पाइन्ट	रेखांश	अक्षांश
क	18° 40′ 00″	71° 16′ 30″
ख	18° 40′ 00″	71° 24′ 00″
ग	18° 32′ 00″	71° 24′ 00″
घ	18° 32′ 00″	71° 16′ 30″

अनुसूची ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल :

माह तथा वर्ष :

क. अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटा कर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख. केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा, मैं ..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर .....

आदेश

विषय :—ओ० एन० जी० सी० को कोचीन हाई एक्सटेंशन क्षेत्र के 810 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० ओ०-12012/55/88-ओ० एन० जी० डी०-4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन देहरादून को (जिसे इसमें इसके पश्चात आयोग कहा गया है) कोचीन हाई एक्सटेंशन क्षेत्र के लिए 810 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 7-1-89 से चार वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क रायल्टी (निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी) :

(1) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेसेट पर 192 रुपये प्रति मिट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6480/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

(1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4 रुपये/-
(2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रुपये /-
(3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रुपये/-
(4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200/- रुपये
(5) लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300/- रुपये

(छ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II के उपनियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र से किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की माग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अंतर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक

आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर 6 महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना के आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसा दस्तावेज भरकर देगा जो अपतीटाय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान किये गये बाथी/मीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

(ज) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

(द) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं ।

(ण) यदि विदेशी जल पोत सर्वेक्षण पर लगाये जाते है तो भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण इनको सर्वेक्षण पर लगाये जाने से पूर्ण किया जाना है । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए जिसमें निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो ।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई दो संपूर्ण प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है ।

अनुसूची "क"

कोचीन हाई एक सर्वेक्षण क्षेत्र 810 वर्ग कि० मी० के लिए भौगोलिक निर्देशांक

पाइन्ट	रेखांश	अक्षांश
एफ	75° 25′ 00″	10° 00 00″
जे	75° 25′ 00″	10° 10′ 00″
के	75° 51′ 00″	10° 10′ 00″
जी	75° 51′ 00″	10 00′ 00″

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल :

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटा कर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग. प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटा कर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री,.....सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।.

हस्ताक्षर.....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

गुरदयाल सिंह, डैस्क अधिकारी

कृषि मन्त्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1989

संकल्प

सं० एन०—11013/21/85-सी० डब्ल्यू० एस०—दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 के इस विभाग के इसी संख्या के संकल्प के क्रम में श्रम सहकारिताओं पर राष्ट्रीय सलाहकारी परिषद के सदस्यों की संख्या को 6 और सदस्यों से बढ़ाकर पुनर्गठित करने का निर्णय दिया गया है। परिषद का गठन अब इस प्रकार होगा:—

1. केन्द्रीय कृषि मंत्री	अध्यक्ष
2. केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री	सदस्य
4. सहकारिता मंत्री, गुजरात	सदस्य
5. वन मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
6. वन मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7. श्रम मंत्री, बिहार	सदस्य
8. सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री, केरल	सदस्य
9. श्रम मंत्री, तमिलनाडु	सदस्य
10. मंत्री, सहकारिता प्रभारी, उड़ीसा	सदस्य
11. अध्यक्ष, श्रम सहकारिताओं का राष्ट्रीय संघ	सदस्य
12. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य श्रम सहकारी संघ चण्डीगढ़	सदस्य
13. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वन सहकारी संघ, डिग्रेस पोस्ट, येवतमाल जिला (महाराष्ट्र)	सदस्य
14. अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली	सदस्य
15. अध्यक्ष रेल श्रम करार सहकारी समिति लि०, 15-कोचारिन बेसिन रोड, वेसिन ब्रिज, मद्रास-600021	सदस्य
16. सलाहकार (कृषि और ग्रामीण विकास) योजना आयोग	सदस्य
17. सलाहकार (औद्योगिक सम्पर्क) रेलवे बोर्ड	सदस्य
18. वन महानिरीक्षक, वन और वन्य जीव विभाग	सदस्य
19. निर्माण कार्य महानिदेशक, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
20. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
21. सचिव, श्रम मंत्रालय	सदस्य
22. सचिव, जहाजरानी एवं परिवहन विभाग	सदस्य
23. अपर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग	सदस्य
24. संयुक्त सचिव, आदिवासी विकास, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
25. सचिव, श्रम, कर्नाटक सरकार	सदस्य
26. सचिव, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, पंजाब सरकार	सदस्य
27. सचिव, सहकारिता पश्चिमी बंगाल	सदस्य
28. सचिव, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, राजस्थान	सदस्य
29. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	सदस्य
30. सचिव, उत्तर पूर्वी परिषद, शिलांग	सदस्य

31. प्रबंध निदेशक, गिरिजन सहकारी विकास निगम, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश — सदस्य

32. श्री विक्रम सिंह भण्डारी, जेन्ती श्रम संविदा समिति ग्राम सूरी, पोस्ट राजुदा, जिला अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) — सदस्य

33. सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, उद्योग मंत्रालय — सदस्य

34. श्री गंगा राम, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, (आई) गाजीपुर, उत्तर प्रदेश — सदस्य

35. श्री सी० रामलिंगा रेड्डी, 1-10-124, अशोक नगर, हैदराबाद — सदस्य

36. श्री रामधारी बालमिकी, भूतपूर्व एम० एल० ए०, उप प्रधान अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, बी० और पी० ओ० कचूरा, तहसील गोहना, जिला सोनीपत (हरियाणा) — सदस्य

37. श्री सतनाम सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समिति (सेवा निवृत्त) मकान सं० 601, सैक्टर, 16 डी, चण्डीगढ़-160015 — सदस्य

38. मुख्य निदेशक (सहकारिता) कृषि और सदस्य-सचिव सहकारिता विभाग)

2. इस परिषद के विचारार्थ विषय हैं :—

(1) श्रम सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करना;

(2) इस कार्यक्रम में श्रमिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिये उपाय सुझाना तथा उनमें पहल एवं नेतृत्व की भावना को बढ़ाना;

(3) सहकारी समितियों के पक्ष में कार्य प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा प्रदत्त कुशल और अकुशल श्रमिकों के आरक्षण के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त सुझाना;

(4) श्रम सहकारी समितियों को नीति, प्रशासन, वित्तीय और तकनीकी सहायता के सम्बन्ध में सलाह देना;

(5) श्रम सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करने के सम्बन्ध में सलाह देना और इन सहकारी समितियों के सदस्यों के कौशल का विकास करने की व्यवस्था करना;

(6) ऐसे अन्य उपायों के बारे में सलाह देना जो परिषद के विचारार्थ विषयों के सम्बद्ध हों।

3. परिषद, जब कभी आवश्यक समझे, श्रम सहकारी समितियों के कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये समितियों की नियुक्ति कर सकती है। ऐसी समितियां किसी विशेष प्रयोजन के लिये ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती हैं, जिन्हें सम्बद्ध समस्याओं का विशेष ज्ञान हो अथवा क्षेत्र सम्बन्धी उपयुक्त क्षेत्रीय अनुभव हो।

4. सरकारी प्रतिनिधियों और विभिन्न सहकारी हित का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता नहीं दिया जायेगा। जिस संगठन का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, वही संगठन यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आदि के खर्चों को वहन करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो किसी संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और जिन्हें परिषद् की बैठक में शामिल होने के लिये अनुरोध किया है उनके मामले में भारत सरकार के ग्रेड-I अधिकारियों के लिये स्वीकार्य यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता दिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिये भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

जे० एन० एल० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 1989

सं० एफ० 10-27/88-यू० 5—संघ के ज्ञापन के नियम-3 और 6 तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के नियमों के अनुसार, निम्नलिखित सामाजिक वैज्ञानिकों को 1 अप्रैल, 1989 से 3 वर्ष की अवधि के लिये परिषद के सदस्यों के रूप में नामजद किया जाता है :—

1. प्रो० सी० एच० हनुमन्त राव,
आर्थिक विकास संस्थान,
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110012

2. प्रो० के० एन० पन्निकर,
ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110067

3. प्रो० आर० रथ,
वरिष्ठ प्रोफेसर
मनोविज्ञान विभाग
उत्कल विश्वविद्यालय,
वाणी विहार, भुवनेश्वर-751004

4. प्रो० एस० एम० दुबे,
प्रोफेसर, समाज शास्त्र विभाग,
डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय,
डिब्रूगढ़-786004 (असम)

5. श्री जयबल्लभ सिन्हा,
एं० एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान,
पटना

6. प्रो० कमलानाथन,
भूतपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त प्रोफेसर,
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय,
तिरूपति—517502
सदस्य, कार्यकारी परिषद,
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली।

एस० के० सेनगुप्ता, अवर सचिव

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय

बम्बई—400 038, दिनांक 12 अप्रैल, 1989

संकल्प

सं० 38—एम एच (1)/81—भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और विमानन मंत्रालय के संकल्प सं० 55 एम ए (5)/52, दिनांक 8 मई, 1954, समय-समय पर यथा-संशोधित के साथ पठित नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प सं० 7—एम० डब्ल्यू० सी० (1)/73 दिनांक 4 मई, 1973 के अनुसरण में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पत्र सं० 1 एम० डी० एस० (28)/76—एम० ए० दिनांक 15 अक्तूबर, 1976 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक (नौवहन) बम्बई पत्तन पर विशेष व्यापार यात्री कल्याण समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस संकल्प के दिनांक से दो वर्ष की समयावधि के लिये सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

सरकारी सदस्य	
1. प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, बम्बई	अध्यक्ष
2. मुख्य पत्तन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, बम्बई	सदस्य
3. क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रयास अधिकारी, बम्बई	सदस्य
4. पुलिस उपायुक्त, बम्बई	सदस्य
5. गोदी प्रबन्धक बम्बई पोर्ट ट्रस्ट, बम्बई	सदस्य
6. पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, बम्बई	सदस्य
7. सहायक समाहर्ता सीमाशुल्क, निवारण विभाग, बम्बई	सदस्य
गैर सरकारी सदस्य	
8. श्री० बी० ए० मसोडकर, राज्य सभा सदस्य	सदस्य
9. श्री प्रकाश वी० पाटील, संसद सदस्य	सदस्य
10. श्री द्वारका नाथ एस० रेडकर, 7, पोस्ट रेडी, तालुका देंगुर्ला डिस्ट्रिक्ट सिन्धुदुर्ग	सदस्य
11. श्री बसन्त शिता राम सुर्वे, 3672, सुनिल सदन, मांडवी रत्नागिरि, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरि	सदस्य
12. यू० ए० पांची, 1—पी, मिस्त्री बिल्डिंग, फ्लैट नं० 3, मनपौउडर रोड़, माझगांव, बम्बई—400010	सदस्य
13. श्री कृष्णा आबाजी चिचारे, ए० आम्बेत, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़	सदस्य
14. श्री शिवाजी राव डजयार, एम० एल० ए०	सदस्य
15. कप्तान आगस्टिन रिबेलो, कप्तान पत्तन विभाग, गोवा सरकार, पणजी—403001	सदस्य

जे० एस० गिल,
वरिष्ठ उप महानिदेशक, नौवहन

(PLANNING COMMISSION)

New Delhi-1, the 15th March 1989

RESOLUTION

No. M-13043/12(4)/87-Agri.—Consequent upon Dr. Kirti Singh relinquishing the charge of the Vice-Chancellor of Narendra Deva University of Agriculture and Technology Faizabad, it has been decided that Dr. G. Trivedi, Vice-Chancellor, Rajindra Agricultural University, Veterinary College Campus, Patna (Bihar) will be the Chairman of the Planning Team for Zone No. 4 Middle Gangetic Plain Region constituted *vide* the Government of India, Planning Commission Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988 with immediate effect.

2. The existing entry against S. No. 2 p-2 of the aforesaid order shall be substituted as under:—

Vice Chancellor,
Narendra Deva University of Agriculture and Technology
Kumarganj, Faizabad (U.P.)

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12(10)/87-Agri.—Consequent upon Dr. K. rishnamurthy taking over from Dr. Ramakrishna as Vice-hancellor, University of Agricultural Sciences, Bangalore,)r. K. Krishnamurthy will be the Chairman of the Planning eam for Zone No. 10; Southern Plateau and Hills Region onstituted vide Govt. of India, Planning Commission Resolu-on No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988 with mmediate effect

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated) the Chairman and Members of the Planning Team, all oncerned Ministries and Departments of State Governments nd Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette f India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12(13)/87-Agri.—Consequent upon Dr. V. 1. Jhala taking over from Shri R. Parthasarthy as Vice-Chan-ellor, Gujarat Agricultural University, Sardar Krushi Nagar,)antewada Distt. Banaskantha, Gujarat, Campus Ahmedabad,)r. V. M. Jhala will be the Chairman of the Planning Team, one No. 13; Gujarat Plains and Hills Region constituted *ide* Government of India, Planning Commission Resolution lo. 13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988 with immediate ffect.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated) the Chairman and Members of the Planning Team, all oncerned Ministries and Departments of State Governments nd Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the iazette of India for general information.

J. C. DANGWAL, Director (Admn.).

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 17th April 1989

ORDER

ubject : Grant of PEL for Bombay Offshore Extension Structure—ST area measuring 800 sq. kms. to ONGC.

No. O-12012/13/88-ONG D 4.—In exercise of the powers onferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the etroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Govern-ient hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, el Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commis-on), a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petro-·um for four years from 2nd June, 1988 for Bombay Offshore xtension Structure—ST area measuring 800 sq. kms. in ombay Offshore the particulars of which are given in Schedule A' annexed hereto.

2. The grant of licence is subject to the terms and condi-ons mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6400/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two-month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The Commission should ensure security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

Schedule 'A'

Geographical Coordinates of Bombay Offshore Extension Structure—ST area measuring 800 sq. kms.

Points	Latitude	Longitude
B_1	20° 00′	72° 30′
B_2	20° 00′	72° 40′
B_3	19° 35′	72° 40′
B_4	19° 35′	72° 30′

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area :

Month and Year :

A—Crude Oil

Total No. of metric tonnes obtained	No. of metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of metric tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head Condensate

Total No. of metric tonnes obtained	No. of metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of metric tonnes used for purpose of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total No. of cubic metres obtained	No. of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Govt.	No. of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that tl information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientious believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

(Signature)

ORDER

No. O-12012/51/88-ONG D-IV.—In exercise of the powers ıferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the ıoleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Govıment hereby grants to the Oil and Natural Gas Commisn, Tel Bhavan, Dehra Dun (hereinafter referred to as mmission), a Mining Lease to mine Petroleum for 20 ars with effect from 14th day of November, 1988 (14-11-88) for D-18 structure in Bombay Offshore area measuring 4 sq. kms. more particularly described in Schedule 'A' ached to this Order.

2. The grant of this Mining Lease is subject to the follow- terms and conditions :—

(1) The Mining Lease would be only in respect of Petroleum;

(2) If any minerals other than petroleum are found during the exploration work the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(3) (i) Royalty at the rate of Rs. 192/- per metric tonne or such other rate as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate shall be paid by the Commission.

(ii) In the case of natural gas, the rates of royalty shall be as fixed by Central Government from time to time.

(iii) The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(4) The Commission shall, within the first seven days of every month, furnish to the Central Government a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the lease, in the Form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(5) The Commission shall deposit a sum of Rs. 20,000/- as security as required by rule 13 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(6) The Commission shall also deposit with the Central Government : (i) for meeting the preliminary expenses such sum, not exceeding Rs. 2000; and (ii) Rs. 5000/- as Mining lease fee prior to the grant of lease.

(7) The Commission shall pay to the Central Government for every year a fixed yearly dead rent at the following rates :

Rs. 12.50 per hectare or part thereof for the first 100 square kilometres and Rs. 25/- per hectare or part thereof for area exceeding the first 100 square kilometres provided that the lessee shall be liable to pay only the dead rent or the royalty, whichever is higher in amount but not both.

(8) The Commission shall pay to the Central Government for the surface area of the land actually used by it for the purpose of the operations conducted under this lease, surface rent at such rate, not exceeding the land revenue and cesses assessed or assessable on and, as may be specified by the Central Government from time to time.

(9) The Commission shall pay to the Central Government royalty, half yearly as on 1st July and 1st January each year.

(10) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government, a full confidential report of the geological data of all the minerals found during the exploration/production of oil and natural gas and shall submit, every six months, the results of all operations, boring and production without fail.

(11) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under water and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies, and means ready at all time, to extinguish the fire and shall pay such compensation to the third party and/or Government as may be determined in case of damages due to fire.

(12) This Mining lease shall be subject to the provisions of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(13) The Commission shall execute a Deed of the Petroleum Mining Lease in the form approved by the Central Government.

(14) Any rent, royalty, tax, fee or other sum due to the Government under this Lease shall be recoverable from the Commission as arrears or land revenue.

Schedule 'A'

Geographical coordinates of the Mining Lease for D-18 structure in Bombay offshore area measuring 194 Sq. Kms.

POINT	LATITUDE	LONGITUDE
A	18° 40′ 00″	71° 16′ 30″
B	18° 40′ 00″	71° 24′ 00″
C	18° 32′ 00″	71° 24′ 00″
D	18° 32′ 00″	71° 16′ 30″

SCHEDULE 'B

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value there of

Petroleum Exploration Licence for

Area :

Month and Year :

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleums exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total Number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Govt.	Number of cubic metres obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true aned correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

Signature

ORDER

Subject :—Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for Cochin High Extension area measuring 810 sq. kms.

No. O-12012/55/88-ONG D4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 7-1-1989 for Cochin High Extension area measuring 810 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

(a) The Exploration Licence should be in respect of petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6480/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of Oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.

(m) The Commission should ensure security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

Schedule-A

Geographical Coordinates of PEL for Cochin High Extension area measuring 810 sq. kms.

Point	Longitude	Latitude
F	75° 25′ 00″	10° 00′ 00″
J	75° 25′ 00″	10° 10′ 00″
K	75° 51′ 00″	10° 10′ 00″
G	75° 51′ 00″	10° 00′ 00″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration licence for

Area

Month and year

A—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes Obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Govt.	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri..... do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

GURDIAL SINGH, Desk Officer.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 7th April 1989

RESOLUTION

No. N-11013/21/85-CWS.—In continuation of this Department Resolution of even number dated 5th October, 1988 it has been decided to expand the constitution of the National Advisory Council on Labour Cooperatives, by adding six more members to the Council. The composition of the Council will now be as follows :—

Chairman

1. Union Minister of Agriculture.

Vice Chairman

2. Union Minister of State (Agriculture).

Members

3. Union Minister of State for Rural. Development.
4. Minister for Cooperation, Gujarat.
5. Minister for Forests, Madhya Pradesh.
6. Minister for Forests, Uttar Pradesh.
7. Minister for Labour, Bihar.
8. Minister for PWD, Kerala.
9. Minister for Labour, Tamil Nadu.
10. Minister, Incharge of Cooperation, Orissa.
11. Chairman, National Federation of Labour Cooperatives.
12. Chairman, Haryana State Labour Cooperative Federation, Chandigarh.
13. President, Maharashtra State Forest Cooperative Federation, Digress Post, Yeotmal Dist. (Maharashtra).
14. President, National Cooperative Housing Federation, New Delhi.
15. President, Railway Labour Contract Cooperative Society Ltd., 14-Cocharin Basin Road, Basin Bridge, Madras-600021.
16. Adviser (Agriculture & Rural Development), Planning Commission.
17. Adviser (Industrial Relations), Railway Board.
18. Inspector General of Forests, Department of Forests & Wild Life.
19. Director-General of Works, Central Public Works Department, Ministry of Urban Development.
20. Secretary, Department of Rural Development.
21. Secretary, Ministry of Labour.
22. Secretary, Department of Shipping & Transport.
23. Additional Secretary, Department of Agriculture & Cooperation.
24. Joint Secretary, Tribal Development, Department of Social Welfare.
25. Secretary, Labour, Government of Karnataka.
26. Secretary, Public Works Department, Government of Punjab.
27. Secretary, Cooperation, West Bengal.
28. Secretary, Public Works Department, Rajasthan.
29. Managing Director, National Cooperative Development Corporation.
30. Secretary, North Eastern Council, Shillong.
31. Managing Director, Girijan Cooperative Development Corporation, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh.
32. Shri Vikram Singh Bhandari, Jainti Shram Samvida Samiti, Village Suri, post Rajuda, Distt. Almora (U.P.).
33. Secretary, Department of Public Enterprises Ministry of Industry.
34. Shri Ganga Rai, President, Pradesh Congress Committee(I), Ghazlapur, Uttar Pradesh.
35. Shri C. Ramlinga Reddy, 1-10-124, Ashok Nagar, Hyderabad.
36. Shri Ramdhari Balamiki, Ex-MLA, Vice-President All India Safai Mazdoor Congress, V & PO—Kathura, Tehsil-Gohana, Distt.—Sonepat (Haryana).
37. Shri Satnam Singh, Addl. Registrar, Coop. Societies (Retd.), H. No. 601, Sector-16-D, Chandigarh-160015.

Member-Secretary

38. Chief Director (Cooperation), Department of Agriculture & Cooperation.

2. The term of reference of the Council are :—

(i) to review the progress of the Working of labour Cooperatives.

(ii) to suggest measures for enlisting active participation of workers in the programme and promoting initiative and leadership among them;

(iii) to suggest guidelines for reservation of skilled and unskilled works by work-awarding agencies in favour of cooperatives;

(v) to advise on policy, administrative, financial and technical support to labour cooperatives;

(v) to advise on the formulation of programme relating to labour cooperatives and arrangements for skill develop[illegible]nt of the members of these cooperatives; and

(vi) to advis[illegible] measures as are relevant to the terms of [illegible] of the Council.

3. The Council may, whenever considered necessary, appoint committees to deal [illegible] different aspects of the programme of labour coope[illegible] Such committees may co-opt, for specific purpose, [illegible] having expert knowledge of the related problem[illegible] [illegible] appropriate field experience.

4. No TA/DA will be paid to the Government representatives and other members representing various cooperative interests. The organisations which they represent, would meet the cost of TA/DA etc. persons not representing any organisation and requested to attend the meetings of the Council and its Committees, will be paid TA/DA admissible to Grade-I Officers of the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. N. L. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 13th April 1989

No. F.10-27/88-U.5.—In terms of Rules 3 and 6 of the Memorandum of Association and Rules of the Indian Council of Social Science Research, the following social scientists are nominated as members of the Council for a period of 3 years with effect from 1st April, 1989 :—

1. Prof. C. H. Hanumantha Rao,
   Institute of Economic Growth.
   University of Delhi,
   Delhi-110012.
2. Prof. K. N. Panniker,
   Centre for Historical Studies,
   Jawaharlal Nehru University,
   New Delhi-110067.

3. Prof. R. Rath,
Senior Professor,
Deptt. of Psychology,
Utkal University,
Vani Vihar, Bhubaneshwar-751004.

4. Prof. S. M. Dubey,
Professor, Deptt. of Sociology,
Dibrugarh University,
Dibrugarh-786004 (Assam).

5. Shri Jay Vallabh Sinha,
A. N. Sinha Institute of Social Studies,
Patna.

6. Prof. Kamalanathan,
formerly Professor Emeritus,
Sri Venkateshwara University,
Tirupati-517502,
Member, Executive Council,
Indian Institute of Public Administration,
New Delhi.

S. K. SENGUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING)

Bombay-400 038, the 12th April 1989

RESOLUTION

No. 38-SH(1)/81.—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the late Ministry of Transport and Aviation No. 55-MA(5)/52 dated the 8th May 1954 as amended from time to time, read with the Ministry of Shipping & Transport Resolution No. 7-MWC(1)/73 dated 4th May 1973, the Director General of Shipping, in exercise of the powers delegated to him vide Ministry of Shipping & Transport letter No. 1-MDS(28)/76-MA dated 15th October, 1976, is pleased to appoint t[illegible]g members to constitute the Special Trade Pa[illegible]fare Committee at the Port of Bombay for a pe[illegible] years from the date of this Resolution.

Official Men[illegible]

Chairma[illegible]

1. The Principal Officer,
Mercantile Marine Department,
Bombay.

Members

2. The Chief Port Officer,
Maharashtra State,
Bombay.

3. The Regional Passport & Emigration Officer, Bombay.

4. The Dy. Commissioner of Police, Bombay.

5. The Docks Manager,
Bombay Port Trust, Bombay.

6. The Port Health Officer,
Bombay.

7. The Asstt. Collector of Customs,
Preventive Department,
Bombay.

Non Official Members

Members

8. Shri B. A. Masodkar,
Member of Rajya Sabha.

9. Shri Prakash V. Patil, M.P.

10. Shri Dwarkanath S. Redkar,
At 7 Post Redi, Taluka Vengurla,
Distt. Sindhudurg.

11. Shri Vasat Sitaram Surve
3672, Sunil Sadan, Mandvi,
Ratnagiri, Distt. Ratnagiri.

12. Shri U. A. Panchi,
1-P, Mistry Building,
Flat No. 3, Gunpowder Road,
Mazgaon, Bombay-400 010.

13. Shri Krishna Abaji Vichare,
Ambet, Distt. Raigad.

14. Shri Shivajirao Jadyan,
M.L.A.

15. Capt. Augustine Rebello,
Captain of Ports Department,
Govt. of Goa, Panaji-403001.

J. S. GILL, Sr. Dy. [illegible]
General of Shipping.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989